vinetur

नौ वाइन उत्पादक देशों ने व्यापार बाधाएं सीमित करने के लिए स्टेलेनबॉश सिद्धांतों का समर्थन किया

स्वैच्छिक ढांचे में विज्ञान-आधारित नियमों, डिजिटल लेबलों की स्वीकृति और निर्यातकों व आयातकों के लिए कम अनुपालन लागत की वकालत की गई है

मंगलवार, 17 नवंबर 2026



नौ वाइन उत्पादक देशों की सरकारों ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के स्टेलेनबॉश में स्वैच्छिक सिद्धांतों के एक नए समूह का समर्थन किया। इसका उद्देश्य स्थिरता से जुड़ी नीतियों को वाइन उद्योग के लिए व्यापार बाधा बनने या उत्पादकों और आयातकों पर अनुपालन की अनावश्यक लागत डालने से रोकने का प्रयास करना है।

यह समझौता World Wine Trade Group (WWTG) की सालाना बैठक के दौरान हुआ, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने 1 से 4 नवंबर तक स्टेलेनबॉश में की। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जॉर्जिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और उरुग्वे के सरकारी तथा उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं। 1998 में स्थापित WWTG, सूचनाओं के आदान-प्रदान, नियमों पर चर्चा और बाधाएं हटाने के साझा प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय वाइन व्यापार को सुगम बनाने के लिए काम करता है।

2 नवंबर को अपनाए गए सिद्धांतों को स्टेलेनबॉश सिद्धांत कहा जाता है। WWTG के अनुसार, ये स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी हैं। इनका उद्देश्य सरकारों को पर्यावरण और स्थिरता संबंधी ऐसे उपाय तैयार करने में मार्गदर्शन देना है जो वाइन उत्पादन और व्यापार को प्रभावित करते हैं। घोषित लक्ष्य अधिक टिकाऊ अंगूर की खेती को बढ़ावा देना है, साथ ही व्यापार पर अनुचित प्रतिबंधों या बाजार में अनचाहे विकृत प्रभावों से बचना है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब सरकारों और खरीदारों की ओर से वाइन उत्पादकों पर खेती, उत्पादन, पैकेजिंग और जानकारी के खुलासे से जुड़ी पर्यावरणीय अपेक्षाएं पूरी करने का दबाव बढ़ रहा है। पेय क्षेत्र और खासकर वाइन निर्यातकों के लिए ये सिद्धांत महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रमाणन, डिजिटल लेबलिंग और पर्यावरणीय अनुपालन नियमों पर साझा रुख तय किया गया है। ये नियम विदेशी बाजारों तक पहुंच और सीमापार कारोबार की लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

पहले सिद्धांत के तहत सरकारों से स्थिरता संबंधी उपाय लागू करते समय एक ही नियम सभी पर थोपने और अनुपालन की अत्यधिक लागत से बचने का आग्रह किया गया है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अधिकारियों को यह मानना चाहिए कि वाइन का उत्पादन अलग-अलग कृषि, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है और एक ही नीतिगत लक्ष्य तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें ऐसे अनुपालन तंत्र अपनाने की अपील की गई है जो उत्पादकों को खेती या उत्पादन का कोई एक निर्धारित तरीका अपनाने के लिए बाध्य करने के बजाय उनके प्रदर्शन पर आधारित हों।

इसी खंड में सरकारों को दूसरे देशों में अपनाए गए तरीकों पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है, भले ही वे तरीके उनके अपने तरीकों से अलग हों, बशर्ते वे नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करते हों। इसमें कहा गया है कि जहां अंतरराष्ट्रीय मानक, दिशानिर्देश और सिफारिशें मौजूद हों, वहां अधिकारियों को उनका सहारा लेना चाहिए—जब तक कि वे अप्रभावी न हों या संबंधित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त न हों। सिद्धांतों में सरकारों से उत्पादकों और आयातकों पर अनावश्यक बोझ न डालने, आपूर्तिकर्ताओं की अनुरूपता संबंधी घोषणाओं पर विचार करने और तीसरे पक्ष के प्रमाणन की जरूरत होने पर निजी क्षेत्र की प्रमाणन योजनाओं को स्वीकार करने की अपील भी की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकारें गैर-सरकारी तीसरे पक्ष के अनुरूपता मूल्यांकन के विकल्पों पर विचार करें और रिपोर्टिंग या समुचित जांच की मांग को केवल उस जानकारी तक सीमित रखें जो अनुपालन का आकलन करने के लिए सख्ती से जरूरी हो।

दस्तावेज़ का एक अधिक व्यावहारिक बिंदु लेबलों से जुड़ा है। सिद्धांतों के अनुसार, सरकारों को स्थिरता संबंधी जानकारी के लिए डिजिटल लेबलों के इस्तेमाल पर विचार करना चाहिए। इसमें पैकेजिंग के निपटान, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। इससे उन निर्यातकों को मदद मिल सकती है जो हर बाजार के लिए बोतलों और लेबलों को नए सिरे से तैयार किए बिना अलग-अलग देशों की आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरे सिद्धांत में कहा गया है कि स्थिरता संबंधी उपाय विज्ञान और जोखिम पर आधारित होने चाहिए। WWTG के अनुसार, सरकारों को उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग करना चाहिए, अनुपालन न होने के जोखिम का आकलन करना चाहिए और ऐसी नई तथा नवोन्मेषी तकनीकों को स्वीकार करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए जो व्यापार को सहारा देने के साथ वाइन उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को इस बारे में वैज्ञानिक जानकारी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि अंगूर की खेती की नई तकनीकें पर्यावरणीय नुकसान कम करने में क्या भूमिका निभा सकती हैं।

तीसरा सिद्धांत पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी पर केंद्रित है। दस्तावेज़ में सरकारों से विश्व व्यापार संगठन के तकनीकी व्यापार बाधाओं पर समझौते के तहत प्रस्तावित उपायों की अधिसूचना देने, नियम बनाने की प्रक्रिया में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और तकनीकी सहयोग तथा सूचना साझा करने के जरिए व्यापारिक साझेदारों एवं अन्य हितधारकों के साथ काम करने का आग्रह किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि आपात स्थिति को छोड़कर, सरकारों को नया उपाय प्रकाशित करने और उसे लागू करने के

बीच कम से कम छह महीने की उचित अवधि देनी चाहिए। WWTG ने कहा कि इस संक्रमण अवधि से निर्यातक देशों के अंगूर उत्पादकों और वाइन निर्माताओं को अपनी कार्यप्रणालियां बदलने का समय मिलना चाहिए। इस दौरान अलग-अलग बढ़वार के मौसमों और नए नियम लागू होने से पहले तैयार हो चुकी वाइन की सुरक्षा की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।